मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2022 (फाल्गुन 20, शक संवत् 1943)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:03 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 एवं 12) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 176 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 171 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. बहिर्गमन

(1) तारांकित प्रश्न संख्या-10 एवं 12 पर इण्डियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर बहिर्गमन किया गया.

(2) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, सदस्य के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा साउण्ड सिस्टम में गड़बड़ी से माईक बंद होने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया.

4. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) डॉ.सीतासरन शर्मा, सदस्य की इटारसी स्थित शमशान घाट के ऊपर से जा रही हाईटेंशन लाईन को न हटाये जाने,

(2) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल, सदस्य की तह.वारा सिवनी जिला बालाघाट में आरक्षित शासकीय भूमि को अवैध निर्माण / अतिक्रमण से बचाव हेतु सीमांकन न किये जाने,

(3) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य की प्रदेश में बेरोजगारों को लेकर शासन द्वारा कोई ठोस कार्य योजना न बनाये जाने,

(4) इंजी.प्रदीप लारिया, सदस्य की विकास खण्ड सागर अतंर्गत ग्राम पंचायत सिरोजा में व्याप्त पेयजल समस्या के चलते तालाब निर्माण कराये जाने,

(5) श्री नीलांशु चतुर्वेदी, सदस्य की सतना जिले के चित्रकूट स्थित सड़क मार्ग का क्षतिग्रस्त होने,

(6) श्री लखन घनघोरिया, सदस्य की प्रदेश में कोविड-19 महामारी के तहत नियुक्त स्टाफ नर्सो की सेवाएं निरंतर रखी जाने,

(7) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य की प्रदेश में वर्तमान में छोटे पुलिस कर्मचारी, सिपाही आदि द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को की गई अपीले वर्षो से लंबित होने,

(8) श्री आरिफ मसूद, सदस्य की भोपाल मध्य विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 51 स्थित आंगनवाडी केन्द्र की दीवार क्षतिग्रस्त होने,

(9) डॉ.गोविंद सिंह, सदस्य की जिला भिण्ड तह. लहार स्थित पुरानी बस्ती क्षेत्र अंतर्गत ऐतिहासिक प्राचीन किला समुचित देखरेख एवं मरम्मत के अभाव में जर्जर होने,

(10) श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य की जबलपुर जिले के केंट विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत स्मार्ट सिटी के कार्य में प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के कारण कार्य अपूर्ण होने,

(11) श्री दिनेश राय, सदस्य की सिवनी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य विकासखंड छपरा की ग्राम पंचायत झिरी में संचालित माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,

(12) श्री आलोक चतुर्वेदी, सदस्य की छतरपुर शहर को अमृत-2 परियोजना में शामिल कर सीवरेज सेप्टिक सिस्टम एवं तालाबों के पुनरोद्धार हेतु राशि स्वीकृत कराये जाने,

(13) श्री मनोज चावला, सदस्य की ग्राम पंचायत ललियाना में खजूरी नदी पर जल संरक्षण हेतु स्टाफ डेम को लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त किये जाने,

(14) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य की धार जिले के राजेन्द्र सूरी साख सहकारी संस्था राजगढ़ को भंग करने के बाद जमाकर्ताओं की राशि का भुगतान न किये जाने,

(15) श्री महेश परमार, सदस्य की मध्यप्रदेश शासन के सभी विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण किये जाने,

(16) एड.बैजनाथ कुशवाह, सदस्य की जिला मुरैना स्थित सबलगढ़ को जिला बनाये जाने,

(17) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य की प्रदेश में ओबीसी वर्ग के 6 लाख छात्रों की पिछले तीन वर्षो से छात्रवृत्ति न मिलने,

(18) श्री शरद जुगलाल कौल, सदस्य की रीवा नगर पालिका वार्ड क्रमांक 43 बिरहुला मंदिर के पीछे नाली का निर्माण न होने से पानी का भराव होने,

(19) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव, सदस्य की विदिशा के वार्ड क्रमांक 39 टीलाखेडी तक मुख्य पंहुच मार्ग का निर्माण कार्य न कराया जाने,

(20) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य की रायसेन जिले में सौर ऊर्जा की प्लेटे खराब होने से नलजल योजना बंद होने,

(21) श्री पुरूषोत्तम लाल तंतुवाय, सदस्य की सम्पूर्ण म.प्र. में जननी सुरक्षा योजना अंतर्गत चल रही गाड़ियों का दुरूपयोग होने,

(22) श्री संजय यादव, सदस्य की बरगी विधानसभा के सहपुरा बैलखेडा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण की बहरेमी से ट्रेक्टर चढाकर हत्या किये जाने,

(23) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव, सदस्य की म.प्र. में निहाल जाति को अनुसूचित जाति के लाभ वंचित किये जाने,

(24) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य की खिलचीपुर एवं जीरापुर तहसील के अनेक ग्रामों में ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलों का सर्वे कराकर मुआवजा दिलाये जाने तथा

(25) श्री फुंदेलाल सिंह मार्को, सदस्य की जिला अनूपुर के विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ के अमरकंटक में वर्ष 2017 से स्वीकृत सीवर ट्रीटमेंट प्लान पूर्ण न होने,

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गई.

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार-

(क) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार मध्यप्रदेश सरकार के वित्त लेखे (खण्ड-I) एवं (खण्ड-II) वर्ष 2020-21 तथा विनियोग लेखे वित्तीय वर्ष 2020-21,

(ख) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मध्यप्रदेश में डायल 100 आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली पर मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2020-21 का प्रतिवेदन संख्या-6,

(ग) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 130 (क) की उपधारा (2) एवं म.प्र.नगरपालिक अधिनियम, 1961 की धारा 122-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार नगरीय निकायों पर संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा म.प्र.का वार्षिक संपरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19, एवं

(घ) मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 129 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार त्रि-स्तरीय पंचायतराज संस्थाओं का संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा का वार्षिक संपरीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19

पटल पर रखे.

(2) श्री बिसाहूलाल सिंह, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22 पटल पर रखा.

(3) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21 पटल पर रखा.

(4) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री की अनुपस्थिति में डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने अधिसूचना क्रमांक-एफ-2-6/2021/सात/शा.7, दिनांक 12 जनवरी, 2022 पटल पर रखी.

(5) श्री विश्वास कैलाश सारंग, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-45-2019-पचपन, दिनांक 28 जनवरी, 2022 पटल पर रखी.

(6) श्री प्रेमसिंह पटेल, पशुपालन मंत्री की अनुपस्थिति में डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) का वार्षिक अंकेक्षित लेखे वर्ष 2020-21 पटल पर रखे.

(7) डॉ.मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने -

(क) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार –

(i) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021 (अकादमिक वर्ष 30 जून 2021 को समाप्त),

(ii) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का 64 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21,

(iii) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21, एवं

(iv) महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) का वार्षिक वर्ष 2020-21 (दिनांक 01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2021 तक)

(ख) महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, करौंदी, जिला-कटनी (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21, तथा

(ग) अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) का नवम् वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21 पटल पर रखे.

(8) श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री की अनुपस्थिति में डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया, सहकारिता मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार –

(क) मध्यप्रदेश प्लास्टिक सिटी डवलपमेन्ट कॉरपोरेशन ग्वालियर लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2019-20 (दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए), तथा

(ख) मध्यप्रदेश प्लास्टिक पार्क डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के अन्तिम लेखे वर्ष 2020-21 (वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2021),

पटल पर रखे.

6. ध्यानाकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, डॉ. सतीश सिकरवार, श्री सुरेश राजे, सदस्यगण ने भिण्ड जिले में ओलावृष्टि क्षतिपूर्ति वितरण में अनियमितता होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राज्सव मंत्री एवं श्री विश्वास सारंग, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

(2) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य ने देवास जिले के सातलाई में मूलभूत सुविधाओं के बाद भी उद्योग स्थापित न होने की ओर औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

7. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्रीमती गायत्री राजे पवार, सभापति ने प्रत्यायुक्त विधान समिति का तृतीय एवं चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(2) श्री पंचूलाल प्रजापति, सभापति ने पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

8. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2022 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों एवं वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में सम्मिलित मंत्रियों के विभिन्न मांग समूहों पर चर्चा हेतु उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

क्र.	विधेयक का नाम	आवंटित समय
(1)	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 1 सन् 2022)	30 मिनिट
(2)	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 2 सन् 2022)	30 मिनिट

वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में सम्मिलित मंत्रियों के विभिन्न मांग समूहों पर चर्चा के लिए आवंटित समय.

क्र.	प्रस्तावक मंत्री	मांग संख्या का विवरण	आवंटित समय
1.	श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री	1- सामान्य प्रशासन 2- विमानन 20- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी 32- जनसम्पर्क 41-प्रवासी भारतीय 45-लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन 48-नर्मदा घाटी विकास 55-महिला एवं बाल विकास 57-आनंद	1 घण्टा
2.	डॉ.नरोत्तम मिश्रा, मंत्री	3- गृह 5-जेल 28- राज्य विधान मण्डल 29- विधि और विधायी कार्य	1 घण्टा
3.	श्री गोपाल भार्गव, मंत्री	24- लोक निर्माण कार्य 56- कुटीर एवं ग्रामोद्योग	1 घण्टा
4.	श्री तुलसीराम सिलावट, मंत्री	16- मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास 23- जल संसाधन	1 घण्टा
5.	श्री विजय शाह, मंत्री	10- वन	1 घण्टा
6.	श्री जगदीश देवड़ा, मंत्री	6- वित्त 7- वाणिज्यिक कर 31- योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	
7.	श्री बिसाहूलाल सिंह, मंत्री	39- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	1 घण्टा
8.	श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, मंत्री	43- खेल और युवा कल्याण 47- तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	1 घण्टा

9.	श्री भूपेन्द्र सिंह, मंत्री	22- नगरीय विकास एवं आवास	1 घण्टा
10.	कु.मीना सिंह मांडवे, मंत्री	33- जनजातीय कार्य 49- अनुसूचित जाति कल्याण	30 मिनिट
11.	श्री कमल पटेल, मंत्री	13- किसान कल्याण तथा कृषि विकास	1 घण्टा
12.	श्री गोविंद सिंह राजपूत, मंत्री	8- भू- राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय 36- परिवहन	1 घण्टा
13.	श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री	18- श्रम 25- खनिज साधन	1 घण्टा
14.	श्री विश्वास सारंग, मंत्री	42- भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास 52- चिकित्सा शिक्षा	1 घण्टा
15.	डॉ. प्रभुराम चौधरी, मंत्री	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1 घण्टा
16.	श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया, मंत्री	30- ग्रामीण विकास 40- पंचायत	1 घण्टा
17.	श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, मंत्री	12- ऊर्जा	1 घण्टा
18.	श्री प्रेम सिंह पटेल, मंत्री	14- पशुपालन एवं डेयरी 34- सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण	30 मिनिट
19.	श्री ओम प्रकाश सखलेचा, मंत्री	35- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम 46- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	30 मिनिट
20.	सुश्री उषा ठाकुर, मंत्री	26- संस्कृति 37- पर्यटन 51- धार्मिक न्यास और धर्मस्व	1 घण्टा
21.	श्री अरविन्द भदौरिया, मंत्री	17- सहकारिता 21- लोक सेवा प्रबन्धन	1 घण्टा
22.	डॉ. मोहन यादव, मंत्री	44- उच्च शिक्षा	1 घण्टा
23.	श्री हरदीप सिंह डंग, मंत्री	09- नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा 4- पर्यावरण	30 मिनिट
24.	श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव, मंत्री	11- औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	30 मिनिट
25.	श्री भारत सिंह कुशवाहा, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	50- उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	30 मिनिट
26.	श्री इंदर सिंह परमार, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	27- स्कूल शिक्षा	1 घण्टा

27.	श्री रामखेलावन पटेल, मंत्री	15- घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु जनजाति विभाग 53- अल्पसंख्यक कल्याण 54- पिछड़ा वर्ग कल्याण	30 मिनिट
28.	श्री राम किशोर (नानो) कावरे, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	38- आयुष	30 मिनिट

समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार-

(1) मांगों पर मतदान के दौरान दिनांक 14 मार्च, 2022 से सभा की बैठकों में भोजनावकाश न रखा जाए.

(2) दिनांक 22 मार्च, 2022 को रंगपंचमी का त्यौहार होने के कारण दिनांक 21 मार्च, 2022 को सभा की बैठक न रखी जाए. जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु दिनांक 14 मार्च, 2022 से सभा की बैठकें सायं 7.00 बजे तक रखी जाए.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने जिन शासकीय विधेयकों एवं वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में सम्मिलित मंत्रियों के विभिन्न मांग समूहों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाईं, उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल (जिला-रायसेन)
(2) कुं. रविन्द्र सिंह तोमर (जिला-मुरैना)
(3) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)
(4) श्री उमाकांत शर्मा (जिला-विदिशा)
(5) श्री पी.सी. शर्मा (जिला-भोपाल शहर)
(6) डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-ग्वालियर)
(7) श्री केदारनाथ शुक्ल (जिला-सीधी)
(8) श्री देवीलाल धाकड़ (जिला-मंदसौर)
(9) श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी (जिला-जबलपुर)
(10) श्री अनिल जैन (जिला-निवाड़ी)
(11) श्री संजय यादव (जिला-जबलपुर)
(12) श्री पुरूषोत्तमलाल तंतुवाय (जिला-दमोह)
(13) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल (जिला-बालाघाट)
(14) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी (जिला-दमोह)
(15) श्री हर्ष विजय गेहलोत (जिला-रतलाम)
(16) श्री मुकेश रावत (पटेल) (जिला-अलीराजपुर)
(17) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया (जिला-मंदसौर शहर)
(18) श्री आलोक चतुर्वेदी (जिला-छतरपुर)
(19) श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-धार)
(20) श्री ग्यारसीलाल रावत (जिला-बड़वानी)
(21) श्री अनिरूद्ध (माधव) मारू (जिला-नीमच)
(22) श्री आरिफ मसूद (जिला-भोपाल शहर)
(23) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)
(24) श्री विक्रम सिंह (जिला-सतना)
(25) श्री तरबर सिंह (जिला-सागर)
(26) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(27) श्री मनोज चावला (जिला-रतलाम)

(28) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर)
(29) श्री रामचन्द्र दांगी (जिला-राजगढ़)
(30) श्री दिनेश राय (जिला-सिवनी)
(31) श्री पंचूलाल प्रजापति (जिला-रीवा)
(32) श्री रामपाल सिंह (जिला-रायसेन)
(33) श्री प्रहलाद लोधी (जिला-पन्ना)
(34) श्री बहादुर सिंह चौहान (जिला-उज्जैन)
(35) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(36) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(37) श्री बापू सिंह तंवर (जिला-राजगढ़)
(38) श्री सुनील सराफ (जिला-अनूपपुर)
(39) डॉ. गोविन्द सिंह (जिला-भिण्ड)
(40) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी (जिला-खरगोन)
(41) श्री के.पी. त्रिपाठी (जिला-रीवा)
(42) श्रीमती सुनीता पटैल (जिला-नरसिंहपुर)
(43) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव (जिला-विदिशा)

10. वर्ष 2021-2022 की तृतीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि परम्परानुसार, अनुपूरक मांगों की चर्चा में सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाकर उन पर एक साथ चर्चा होती है, अत: वित्त मंत्री द्वारा सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाएं, तदनुसार, श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि –

" दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 20, 22, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 44, 45, 47, 49, 55, 58, एवं 64 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर पन्द्रह हजार दो सौ सोलह करोड़, नब्बे लाख, सतासी हजार, तीन सौ निन्यानवे रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये. "

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) सुश्री हिना लिखीराम कावरे
(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(3) श्री विनय सक्सेना

सभापति महोदय (श्री यशपाल सिंह सिसोदिया) पाठासीन हुए.

(4) श्री बहादुर सिंह चौहान

11. अध्यक्षीय घोषणा
सदन के समय में वृद्धि की जाना

सभापति महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम-23 के अनुसार शुक्रवार की बैठक के अंतिम ढाई घंटे अशासकीय कार्य के लिये नियत हैं, परंतु आज की कार्यसूची के पद क्रमांक 8 पर चर्चा के पश्चात अशासकीय कार्य लिया जायेगा तथा कृतज्ञता प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तर एवं आय-व्यय पर सामान्य चर्चा आगामी दिवस में ली जायेगी, तद्नुसार सदन के समय में वृद्धि की जाये.

12. वर्ष 2021-2022 की तृतीय अनुपूरक मांगों पर मतदान (क्रमश:)

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.
अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

13. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2022 (क्रमांक 3 सन् 2022) *पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2022 (क्रमांक 3 सन् 2022) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

14. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव (चर्चा का पुनर्ग्रहण)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य द्वारा दिनांक 7 मार्च, 2022 को प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन पर 10 मार्च, 2022 को प्रारम्भ हुई चर्चा के क्रम में श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य ने अपना भाषण पूर्ण किया तथा निम्नलिखित सदस्यों द्वारा भी भाग लिया गया :-

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

(11) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव (लिखित भाषण)
(12) श्री हरिशंकर खटीक
(13) श्री विनय सक्सेना
(14) डॉ. अशोक मर्सकोले (चर्चा जारी)
(15) श्री सुनील सराफ (लिखित भाषण)

15. अध्यक्षीय घोषणा

(1) कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा का उत्तर सोमवार को लिया जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि सदन में पूर्व में घोषणानुसार कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा का उत्तर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सोमवार को दिया जाएगा.

(2) अशासकीय संकल्प आगामी दिवस में लिया जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि आज की कार्य सूची में उल्लेखित अशासकीय संकल्प आगामी दिवस में लिए जाएंगे.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

अपराह्न 2.25 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 14 मार्च, 2022 (23 फाल्गुन, शक सम्वत् 1943) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल:
दिनांक: 11 मार्च, 2022